HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए लूट की योजना बनाने वाले आरोपी को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 30.10.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "लूट की योजना बनाने वाले आरोपी" को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 23.10.2015 को अभियुक्त कमरुद्दीन पुत्र नन्हे निवासी छिद्दापुरी रोड़ कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 596/2015 धारा 398, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 03.12.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 30.10.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हापुड़ द्वारा 07 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेश चन्द्र शर्मा (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 शिवकुमार मलिक एवं पैरोकार है0का0 देवेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 अन्जू का विशेष योगदान रहा।